259

367

III/निग०/रीवा/भू-रा०/2017/3796

न्यायालय श्री मान् राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर लिंक कोर्ट रीवा म०प्र०

Rs.405/-

1- कैलाश प्रसाद
2- रामलखन
3- नारायण प्रसाद

तीनो के पिता स्व० लालमणि कुर्मी

सभी निवासी ग्राम भुण्डहा तहसील हनुमना जिला रीवा म०प्र०

... निगरानी कर्ता गण

अधि० श्री संजय पाण्डेय
10-10-17

बनाम

देवराज पिता शम्भू प्रसाद पटेल निवासी ग्राम अटरिया तहसील व थाना हनुमना जिला रीवा म०प्र० .... गैर निगरानी कर्ता

निगरानी विरूद्ध प्रकरण क्रमांक 209/ए-6/15-16 प्रकरण देवराज विरूद्ध कैलाश प्रसाद व अन्य मे पारित अन्तरिम आदेश 31.8.17 को निरस्त किए जाने बावत ।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू राजस्व संहिता 1959 ई०

मान्यवर,

निगरानी का संक्षिप्त सार

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी महोदय तहसील हनमना प्रकरण क्रमांक - 209/ए6/2015-16 मे पारित आलोच्य अन्तरिम आदेश दिनांक 31.8.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की जा रही है। विचारण न्यायालय तहसीलदार महोदय तहसील हनुमना जिला रीवा म०प्र० के समक्ष निगरानी कर्ता गण/ आवेदक गण द्वारा वाद ग्रस्त भू आराजी मे कब्जा के आधार पर म०प्र० शासन के भू राजस्व अभिलेख मे कब्जा दर्ज किए जाने हेतु गैर निगरानी कर्ता को जोकि वाद ग्रस्त भू आराजी

कैलाश

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ--अ

क्रमांक III / निग0 / रीवा / भू–रा0 / 2017 / 3796 जिला–रीवा

कैलाश प्रसाद कुर्मी / देवराज पटेल

(1)	(2)	(3)
24.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री शंकेश्वर तिवारी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हनुमना के प्रकरण क्रमांक 20 / ए–6 / 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 31.08.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 15.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	